हिमाचल प्रदेश लोक धन (देय की वसूली) अधिनियम, 2000

धाराओं का क्रम

धाराएंः

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. कतिपय देय की भू–राजस्व की बकाया के रूप में बसूली।
4. संग्रहण प्रभार।
5. निरसन और व्यावृत्तियां।

———————————

हिमाचल प्रदेश लोक धन (देय की वसूली) अधिनियम, 2000

(2001 का अधिनियम संख्यांक 2)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 09 फरवरी, 2001 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 17 फरवरी, 2001 को पृष्ठ संख्या 5513 से 5523 पर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया)

राज्य सरकार या हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम या इस निमित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य निगम अथवा सरकारी कम्पनी या बैंककारी कम्पनी के कतिपय देयों की शीघ्र वसूली से सम्बन्धित विधि को पुनः अधिनियमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**– इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक धन (देय की वसूली) अधिनियम, 2000 है।

2. इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

3. यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

———————————

1. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पास किया गया। उद्देश्यों और कारणों के कथन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 29 दिसम्बर, 2000 पृष्ठ संख्या 4802 और 4807 देखें।

2. **परिभाषाएं**.—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बैंककारी कम्पनी" से,—

1949 का 10 (i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथा परिभाषित बैंककारी कम्पनी;

1955 का 23 (ii) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक;

1959 का 38 (iii) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित समनुषंगी बैंक;

1956 का 1 (iv) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कृषि वित्त निगम सीमित कम्पनी;

1981 का 61 (v) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक;

1970 का 5 (vi) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित तत्स्थानी बैंक;

1949 का 10 (vii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई बैंककारी संस्था;

1976 का 21 (viii) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अधीन गठित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक; या

1980 का 40 (ix) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है;

(ख) "कलक्टर" से, जिला का कलक्टर अभिप्रेत है और इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति इस के अन्तर्गत है;

1951 का 63 (ग) "निगम" से राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, कोई अन्य निगम भी है;

(घ) "वित्तीय सहायता" से, निम्नलिखित के लिए दी गई कोई वित्तीय सहायता अभिप्रेत है,—

(i) व्यवसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए; या

(ii) आवासिक भवन के निर्माण के लिए; या

(iii) पेयजल, कूहल या पाइप लाईन की व्यवस्था करने के लिए या

(iv) पशुपालन, कृषि या बागवानी के विकास के लिए; या

(v) किसी ग्रामीण या कुटीर उद्योग, औद्योगिक उपक्रम या कृषि उद्योग की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, नवीकरण करने या चलाने के लिए; या

(vi) किसी अन्य प्रकार के योजनाबद्ध विकास के प्रयोजनों के लिए; या

(vii) विपत्ति से राहत के लिए; या

(viii) राष्ट्रीय उधार छात्रवृत्ति स्कीम के अधीन ऋण के लिए; या

(ix) वृत्तिक/विशेषज्ञीय प्रशिक्षण, जैसा राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, जिसें सम्बन्ध में छात्रवृत्ति/वृत्तिका लोक निधि से संदत्त की जाती है और राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा दी जाती है;

1956 का 1 (ड.) "सरकारी कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी, कम्पनी अभिप्रेत है और जिसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस रूप में अधिसूचित किया जाता है;

(च) "औद्योगिक उपक्रम" के अन्तर्गत, माल के विनिर्माण, परिरक्षण, भण्डारकरण या प्रसंस्करण अथवा खनन या होटल उद्वोग अथवा यात्रियों या माल का परिवहन या विद्युत या विद्युत शक्ति के किसी अन्य रूप में उत्पादन या वितरण अथवा मशीनों, यानों, जलयानों, नौकायान, ट्रेलरों या ट्रेक्टरों के रखरखाव, मुरम्मत, परीक्षण या सफाई–धुलाई मशीनों या बिजली की सहायता से किन्हीं वस्तुओं के समंजन, मुरम्मत या पैकिंग या मछली पकड़ने या उसके रख–रखाव के लिए तट सुविधाओं की व्यवस्था करने या भूमि के किसी संलग्न क्षेत्र का औद्योगिक सम्पदा के रूप में विकास करने या औद्योगिक विकास की अभिवृद्धि के लिए विशेष या तकनीकी जानकारी या अन्य सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए कोई उपक्रम है;

स्पष्टीकरण.– "माल का प्रसंस्करण" पद के अन्तर्गत किसी सामग्री को शारीरिक, यांत्रिक, रसायनिक, विद्युत या इसी प्रकार की अन्य क्रिया के अधीन करके किसी वस्तु के उत्पादन, तैयार करने या बनाने का कोई कार्य या प्रक्रिया है;

(छ) "प्रायोजित स्कीम" से, राज्य सरकार या केन्द्रीय द्वारा वित्तीय यहायता के रूप में वह प्रायोजित स्कीम अभिप्रेत है जिसके अधीन सम्बद्ध सरकार या तो,–

(i) निगम या सरकारी कम्पनी को ऋण, अग्रिम, अनुदान या सहायकी के संवितरण के प्रयोजन के लिए या माल के उधार पर या अवक्रय पर विक्रय प्रयोजन के लिए अग्रिम धन देती है; या

(ii) ऋण, अग्रिम, अनुदान या सहायकी के संदाय या उधार पर या अवक्रय पर विक्रीत माल की कीमत के संदाय की प्रत्याभूति देती है या प्रत्याभूति देने के लिए सहमत होती है; और

(ज) "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

3. **कतिपय देय की भू–राजस्व की बकाया के रूप में बसूली**.– (1) जहां कोई व्यक्ति या तो मूल ऋणी के रूप में या प्रत्याभूतिदाता के रूप में निम्नलिखित में पक्षकार है–

(क) (i) राज्य सरकार, सरकारी कम्पनी, बैंककारी कम्पनी या निगम द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में उप करार के अधीन दिए गए ऋण, अग्रिम, अनुदान, सहायकी, वित्तीय सहायता, वृत्तिका या छात्रवृत्ति से सम्बन्धी या विक्रीत माल के उधार के बारे में या अवक्रय से सम्बन्धी किसी करार या बंधपत्र का; या

(ii) यथास्थिति, राज्य सरकार, बैंककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन दिए गए ऋण, अग्रिम, अनुदान, सहायकी से सम्बन्धी या विक्रीत माल के उधार के बारे में या अवक्रय से सम्बन्धी किसी करार का; या

(ख) औद्योगिक उपक्रम द्वारा दिए गए ऋण के बारे में राज्य सरकार, सरकारी कम्पनी, बैंककारी कम्पनी या निगम द्वारा दी गई प्रत्याभूति से सम्बन्ध किसी करार का; या

(ग) किसी करार का, जो यह उपबंधित करता है कि तद्धीन सरकार को देय कोई धन भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा; या

(घ) राज्य सरकार द्वारा या के माध्यम से दिए गए माल या किसी अन्य वस्तु के विक्रय या वितरण के किसी करार,

और ऐसा व्यक्ति–

(i) ऋण, अग्रिम, वृत्तिका या छात्रवृत्ति का उसकी किसी किस्त या ब्याज के प्रतिसंदाय में कोई व्यतिक्रम करता है; या

(ii) अनुदान की शर्तों के अधीन, अनुदान या उसके प्रभाग का प्रतिदाय करने का दायी होने पर ऐसे अनुदान या उसके प्रभाग या किस्त के प्रतिसंदाय में कोई व्यतिवम करता है; या

(iii) माल या किसी अन्य वस्तु की कीमत या उसके ब्याज के संदाय का दायी होने पर, उसके या उसके भाग का संदाय करने में असफल रहता है; या

(iv) अन्यथा करार के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है; तब, राज्य सरकार की दशा में, ऐसा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, और बैंककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी की दशा में, उसका प्रबन्ध निदेशक या इस निमित्त विनिर्दिष्टतः प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो जो मण्डलीय प्रबन्धक की पंक्ति से नीचे का न हो। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलक्टर को, ऐसे व्यक्ति द्वारा देय राशि को वर्णित करते हुए और यह अनुरोध करते हुए प्रमाण–पत्र भेज सकेगा कि कार्यवाहियों के खर्चे सहित ऐसी कोई राशि या होई अन्य राशि वसूल की जाए मानो यह भू–राजस्व की बकाया हो।

(2) उप–धारा (1) के अधीन भेजा प्रमाण–पत्र उसमें विवरणित विषय का निश्चायक सबूत होगा और कलक्टर ऐसे प्रमााण–पत्र की प्राप्ति पर उसमें विवरणित रकम को भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा।

(3) उप–धारा (1) की कोई भी बात, किसी बन्धक, भार, गिरवी या किसी अन्य विल्लंगम द्वारा सृजित किसी सम्पत्ति में, राज्य सरकार, बैंककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी के हित पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(4) जहां उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की सम्पत्ति, यथास्थिति, राज्य सरकार, बैंककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी के पक्ष में किसी बंधक, भार, गिरवी या अन्य विल्लंगम के अधीन है, वहां तब–

(क) माल की गिरवी की दशा में इस प्रकार गिरवे रखे माल के विक्रय के लिए कार्यवाहियां की जाएंगी और यदि ऐसे विक्रय के आगम, देय रकम से कम है, तो ऐसे व्यक्ति की अन्य सम्पत्ति के विरूद्ध अधिशेष की वसूली के लिए कार्यवाहियां की जाएंगीः

परन्तु जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि, यथास्थिति, इसको या बैंककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी को देय रकम की वसूली की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो यह कारणों को अभिलिखित करते हुए तब गिरवी माल से पहले या उसी समय अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में कार्यवाहियां करने के लिए निदेश दे सकेगी मानो कार्यवाहियां गिरवी रखे माल के विक्रय के लिए की जाती हैं।

(ख) स्थावर सम्पत्ति पर बन्धक, भार या अन्य विल्लंगम की दशा में, यथास्थिति, ऐसी सम्पत्ति या, उप–धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति का उसमें हित, उस व्यक्ति से देय राशि की वसूली के लिए कार्यवाहियों में पहले विक्रीत किया जाएगा और अन्य कोई कार्यवाहियां केवल तभी की जा सकेंगी यदि कलक्टर प्रमाणित करे कि प्रथमतः वर्णित प्रक्रिया द्वारा युक्ति–युक्त समय के भीतर देय राशि की वसूली की कोई संभावना नहीं है।

(5) जहां सरकारी कम्पनी, बैंककारी कम्पनी या निगम के देयों के अतिरिक्त, धारा 3 में वर्णित व्यक्ति से सरकारी देय वसूलीय हों, वहां भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूली में सरकारी देयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. **संग्रहण प्रभार.**– धारा 3 के अधीन कलक्टर की सेवाओं का उपभोग करने वाली कोई बैंककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी ऐसी दर पर राज्य सरकार को संग्रहण प्रभार संदत्त करेगी जैसी रसज्य सरकार द्वारा समय–समय पर, राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं।

5. **निरसन और व्यावृत्तियां.**– (1) हिमाचल प्रदेश लोक धन (देय की वसूली) अधिनियम, 1973 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।